संख्या- 32 /2024 / 160 /चार-2024-28(बजट)/12

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 13 जनवरी, 2024

विषय:- जनपद आजमगढ़ में निर्मित हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3512/सं0नि0-6(30)/11-12 टी0सी0-।। दिनांक 05 जनवरी, 2024 के संबंध में अवगत कराना है कि जनपद आजमगढ़ में निर्मित हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु शासन के पत्र संख्या- 2111/चार-2021 दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 द्वारा रू0 2241.80 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष अद्यतन रू0 2096.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन के निर्माण कार्य की 05 प्रतिशत धनराशि रोकते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रश्नगत परियोजना की अवशेष धनराशि रू0 33.71 लाख (रूपये तैंतीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) शासनादेश संख्या-3855/चार-2013-28(बजट)/12, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013, शासनादेश संख्या-84//3201/चार-2015-28(बजट)/12, दिनांक 28 अगस्त, 2015, शासनादेश संख्या-138/2016/1109/चार-2016-28(बजट)/12, दिनांक 03 अगस्त, 2016, शासनादेश संख्या-25/2018/239/चार-2018-28(बजट)/12, दिनांक 07 मार्च, 2018 , शासनादेश संख्या-07/2019/3865/चार-2018-28(बजट)/12, दिनांक 19 जनवरी, 2019, शासनादेश संख्या-129/2020/1283/चार-2020-28(बजट)/12, दिनांक 10 अक्टूबर, 2020, शासनादेश संख्या-72/2021/680/चार-2021-28 (बजट) /12, दिनांक 23 मार्च, 2021, शासनादेश संख्या- 128/2021/1195/चार-2021-28(बजट)/12, दिनांक 26 जुलाई, 2021, शासनादेश संख्या- 164/2022/ 1687/चार-2022-28(बजट)/12, दिनांक 18 अगस्त, 2022 तथा शासनादेश संख्या-83/2023/ 347/चार-2023-28(बजट)/12, दिनांक 28 फरवरी, 2023 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(5) परियोजना हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि परियोजना निर्माण के उपरान्त गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार निर्गत की जायेगी।

(6) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

3. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-08- आजमगढ़ में हरिऔध कला केन्द्र के भवन का निर्माण-24 वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधिनित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

संख्या - 32 / 2024 / 160 (1) /चार-2024- 28(बजट)/12 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, आजमगढ़।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सी0 एंड डी0 एस0 (उ0प्र0 जल निगम) लखनऊ।
6- महाप्रबंधक (नि0-13) नोडल अधिकारी, सी0एंड डी0एस0 (उ0 प्र0 जल निगम) लखनऊ/ परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट आजमगढ़।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।